

अनुसूची - 14 - फारम सं० - 563

उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

आदेश - फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम - 129)

नौमी देवी वगै०

बनाम

मो० खालिद परवेज

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला - गुमला

वाद सं० :- 19/2007-08

वाद का प्रकार :- म्यूटेशन रिविजन (Mutation Revisoin)

अपीलार्थी श्रीमती नौमी देवी पति-स्व सोहराई राम वगै० ग्राम-सिसई रोड गुमला सरना टोली गुमला थाना+जिला-गुमला द्वारा नामान्तरण वाद सं०-18/2005-06 में उप समाहर्ता भूमि सुधार गुमला के पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अपील दायर किया गया है।

अभिलेख फलक के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को इस वाद से कोई अभिरुची नहीं रह गई है।

अतः म्यूटेशन रिविजन वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

Balwan
उपायुक्त,
गुमला

Balwan
उपायुक्त,
गुमला